संख्या-**41/2016/414/12-3-2016-100(10)/2014**

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक**,**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग**-3** लखनऊ:: दिनांक: **21** मार्च**, 2016**

विषयः- मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प की योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में चलायी जा रही सोलर इरीगेशन पम्प की योजना के अन्तर्गत सोलर सिस्टम एक स्थान पर फिक्स कर दिया जाता है, जिससे सौर ऊर्जा का सीमित उपयोग संभव हो पाता है। सम्यक् विचारोपरान्त पायलट के रूप में ट्राली माउन्टेड ए.सी. विद्युत पर आधारित मोबाइल सोलर पम्प योजना प्रारम्भ करने का शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिससे उपलब्ध सौर ऊर्जा का सिंचाई एवं कृषि से संबंधित अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सके। यह योजना पाइलेट आधार पर प्रदेश के जनपदों में छोटे पैमाने पर कार्यान्वित की जायेगी।

2- <u>परियोजना का उद्देश्य -</u>

- मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट की स्थापना से सिचाई लागत को कम करना।
- ऊर्जा के स्रोतो यथा कोयला, डीजल आदि की समस्या का निदान।
- विद्युत आपूर्ति के प्रबन्धन में सहयोग।
- व्यवधान मुक्त सिचाई संसाधन की उपलब्धता।
- पर्यावरण संरक्षण।
- प्रदेष के कृशक समूहों एवं स्वयं सहायता समूहो को अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराना।
- संरक्षित सौर ऊर्जा का कृशक हित में बहुपयोगी प्रयोग ।

3- <u>योजना का विवरण</u>

विभिन्न अक्षय ऊर्जा संसाधनो के बीच, सौर ऊर्जा क्षमता की उपलब्धता के दृश्टिगत, जमीनी स्तर पर कृशको को सषक्त बनाने, ऊर्जा के विकेन्द्रीकृत वितरण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में प्रदेष में सिचाई की समस्या के निराकरण के साथ-साथ सौर

http://shasanadesh.up.nic.in

ऊर्जा चालित सिचाई पम्प एवं सौर ऊर्जा के बहुपयोगी उपयोग को प्रोत्साहित किये जाने की आवष्यकता है।

उक्त के दृश्टिगत मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट की स्थापना कराये जाने हेतु 3000 वाट (3एच0पी0) सोलर फोटोवोलटैईक (मल्टी परपज) ट्राली सिचाई पम्प उपलब्ध कराये जायेंगे।

मोबाइल संयत्र के अन्तर्गत ट्राली, 3000 वाट सोलर पैनल, फिक्सर, 3 एच0पी0 (ए0सी0 मोटर) सरफेस मोनोब्लाक पम्प, वी0एफ0डी0 कन्ट्रोल बाक्स, फ्लेक्सी डिलिवरी पाइप (200 मी0), फ्लेक्सी वायर (30 मी0),सक्षन पाइप (30 मी0) आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।

मोबाइल सयंत्र के साथ अतिरिक्त सुविधा के रूप में इनवर्टर निम्नानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।

1- इनवर्टर 1400 वी0ए0 12 वोल्ट, बैटरी 150 AH -2 अदद

2- इनवर्टर 2 कि0वाट 24 वोल्ट, बैटरी 12 वेल्ट 150 AH- 6 अदद

3- इनवर्टर 3.5 कि0वाट 48 वोल्ट, बैटरी 12 वेल्ट 150 AH- 12 अदद

उक्त इनवर्टर एवं उससे संलग्न उपकरण कृषक, कृषक सहायता समूह एवं स्वयं सहायता समूहों को ऐच्छिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त इनवर्टर तथा उससे संलग्न उपकरण पर किसी प्रकार का अनुदान देय नही है।

4- <u>पात्रता:-</u>

उपरोक्त मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट प्रदेष के लघु एवं सीमान्त कृशक/लघु सीमान्त कृषकों के समूह, स्वयं सहायता समूंह तथा अन्य कृशको को देय होगा। निर्धारित लक्ष्यो में 50 प्रतिषत लघु एवं सीमान्त कृशकों हेतु तथा षेश 50 प्रतिषत लक्ष्य लघु सीमान्त कृषकों के समूह, स्वंय सहायता समूह एवं अन्य कृषकों को आवंटित किये जायेंगे।

वर्तमान में औसत प्रति जनपद 06 सिस्टम की दर से कुल 450 मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर यूनिट की स्थापना का लक्ष्य है। जनपदवार लक्ष्य आवश्यकतानुसार शासन द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। निर्धारित लक्ष्य 450 का कृषक श्रेणीवार विभाजन निम्नवत् है:-

क्र0	सोलर पम्प की क्षमता	कृशक श्रेणी	2015-16
1	3000 वाट (3एच0पी0) मोबाइल सोलर यूनिट।	लघु एंव सीमान्त	225
		लघु सीमान्त कृषकों के समूह एवं स्वयं सहायता समूह	150
		अन्य कृशक	75

http://shasanadesh.up.nic.in

	योग		450

5- राज्य सेक्टर से अनुमन्य अनुदानः-

मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट की लागत अधिक होने के कारण भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवल एनर्जी से देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य सेक्टर से निम्नानुसार अनुदान देय होगाः-

1- प्रदेष के लघु एवं सीमान्त कृशको को **3000** वाट **(3के0वी0ए0)** मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट पर मूल्य का 60 प्रतिषत का अनुदान राज्य सरकार से देय होगा।

2- प्रदेष के लघु सीमान्त कृषकों के समूह एवं स्वयं सहायता समूंह को **3000** वाट **(3के0वी0ए0)** मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट पर मूल्य का 50 प्रतिषत का अनुदान राज्य सरकार से देय होगा।

3- प्रदेष के अन्य कृशको को **3000** वाट **(3के0वी0ए0)** मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट पर मूल्य का 35 प्रतिषत का अनुदान राज्य सरकार से देय होगा।

6- परियोजना का क्रियान्वयन यू0पी0एग्रो0, कृषि विभाग उ0प्र0, एवं यू0पी0नेडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। जनपदों में लाभार्थियों का चयन कृषि विभाग के जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। यू0पी0एग्रो0, कृषि विभाग एवं उ0प्र0 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार निर्धारित किये जा रहे हैं-

क्र0	**प्रस्तावित कार्य**	**उत्तरदायी विभाग**
1	परियोजना के लिए चयनित जनपदों में प्रथम आवत, प्राथम पावत के आधार पर लघु एवं सीमान्त कृशक/ अन्य कृशक/कृशक संगठन, स्वयं सहायता समूंह का चयन षासनादेष संख्या 416/12-3-2015- 100(10)/2014 दिनांक 04 मार्च 2015 द्वारा निर्धारित प्ररकिया के अनुसार किया जाना तथा लाभाथ्र्ाी अंशदान भी प्राप्त किया जाना।	कृषि विभाग
2	एम0एन0आर0ई0 से योजना की स्वीकृति हेतु एम0एन0आर0ई0 के निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव तैयार कर नेडा को उपलब्ध कराना।	कृषि विभाग

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)

3	एम0एन0आर0ई0 से योजना की स्वीकृति एवं सम्बन्धित केन्द्रीय अनुदान की धनराशि प्राप्त करना तथा उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर भेजना।	नेडा

4	जनपदवार माँग के अनुरूप मोबाइल सोलर यूनिट में प्रयुक्त पी0वी0आरी सोलर माडयूल्स, ए0सी0मोटर पम्प, माउन्टिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रानिक्स आदि भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवल एनर्जी के मानको के अनुसार यू0पी0एग्रो0 द्वारा यू0पी0नेडा की सहायता से निविदा प्रपत्र तैयार कर निविदा के माध्यम से मोबाइल सोलर यूनिट तैयार की जायेगी।	यू0पी0एग्रो0
5	मोबाइल सोलर यूनिट तैयार किये जाने एवं 5 साल की वारन्टी हेतु यू0पी0एग्रो0 एवं सोलर पैनल निर्माता फर्म, 02एच0पी ए0सी0 सरफेस मोनोब्लाक पम्प के निर्माता फर्म, ट्राली निर्माता फर्म के मध्य एम0ओ0यू0 किया जायेगा, जिसमें सोलर पम्प की स्थापना, उसकी क्रियाशीलता एवं अनुरक्षण आदि का समावेश किया जाना।	यू0पी0एग्रो0
6	जनपदवार पम्प की माँग के अनुरूप मोबाइल सोलर यूनिट की आपूर्ति हेतु यू0पी0एग्रो0 को कार्यादेश जारी करना।	कृषि विभाग
7	चयनित लाभार्थियों की जनपदवार सूचना यू0पी0एग्रो0 एवं यू0पी0नेडा को प्रेषित करना।	कृषि विभाग
8	सम्बन्धित जनपद के कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक, यू0पी0नेडा के परियोजना अधिकारी, एवं यू0पी0एग्रो0 के अभियन्ता द्वारा सयुंक्त रूप से सोलर पम्प की स्थापना एवं उसका सत्यापन का कार्य करना।	कृषि/नेडा/ यू0पी0एग्रो0
9	मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प की स्थापना एवं सत्यापन के उपरान्त यू0पी0एग्रो0 को मोबाइल सोलर संयंत्र यूनिट, पम्प का भुगतान	कृषि
10	राज्य अनुदान से अनुमन्य अनुदान से सम्बन्धित धनराशि का उपयोगगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर भेजना	कृषि

परियोजनान्तर्गत स्थापित मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट के शत प्रतिशत सत्यापन के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। स्थापित सोलर फोटोवोलटैईक पम्पों के 10 प्रतिशत का सत्यापन मुख्यालय स्तर के अधिकारियो द्वारा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

योजनान्तर्गत मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट हेतु क्षेत्रीय आवष्यकता को ध्यान में रखते हुये निदेषक, कृषि, निदेशक, यू0पी0नेडा एवं प्रबन्ध निदेषक यू0पी0 एग्रो0 से विचार विमर्ष कर जनपदीय लक्ष्यों में शासन के अनुमोदनोपरांत आवष्यकतानुसार संषोधन कर सकेगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- <u>वित्तीय आवश्यकता :-</u>

मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट की प्रति इकाई अनुमानित लागत/केन्द्रांश/राज्यांश/कृषक का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 स0	किसान का प्रकार	क्षमता	अनुमानित मूल्य रू0 में यू0पी0एग्रो0 द्वारा गणना की दर से	अनुदान की धनराषि एवं कृशक अंष की धनराषि (रूपये में)			
				राज्यांश	केन्द्रांश	कृषक अंश	योग
1	लघु एवं सीमान्त	3000 वाट (3के0वी0ए0) मोबाइल सोलर यूनिट। 3एच0पी0 पम्प	750750	450450	97200	203100	750750
2	लघु सीमान्त कृषक सहायता समूह /स्वयं सहायता समूह	3000 वाट (3के0वी0ए0) मोबाइल सोलर यूनिट।	750750	375375	97200	278175	750750
3	अन्य किसान	3000 वाट (3के0वी0ए0) मोबाइल सोलर यूनिट।	750750	262763	97200	390788	750750

उक्त के आधार पर मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट पर वित्तीय वर्श 2015-16 में निम्नानुसार केन्द्र द्वारा देय अनुदान एवं राज्य द्वारा प्रस्तावित अनुदान की धनराशि का अनुमान निम्नवत है-

क्र0स0	किसान का प्रकार	क्षमता	प्रस्तावित संख्या	प्रति यूनिट अनुमानित मूल्य रू0 में यू0पी0 एग्रो0 द्वारा गणना की दर से	कुल अनुमानित मूल्य रू0लाख में	अनुदान की धनराषि एवं कृशक अंष की धनराषि (लाख में)				
						राज्यांश	केन्द्राश	कुल अनुदान	कृषक अंश	योग
1	लघु एवं सीमान्त	3000 वाट (3के0वी0ए0) मोबाइल सोलर यूनिट। 3एच0पी0 ए0सी0 पम्प	225	750750	1689.18	1013.51	218.70	1232.21	456.97	1689.18
2	लघु सीमान्त कृषक सहायता समूह /स्वयं सहायता समूह	3000 वाट (3के0वी0ए0) मोबाइल सोलर यूनिट। 3एच0पी0 ए0सी0 पम्प	150	750750	1126.12	563.06	145.80	708.86	417.26	1126.12
3	अन्य किसा	3000 वाट (3के0वी0ए0)	75	750750	563.06	197.07	72.90	269.97	293.09	563.06

http://shasanadesh.up.nic.in

	न	मोबाइल सोलर यूनिट। 3एच0पी0 ए0सी0 पम्प								
		योग	450		3378.36	1773.64	437.40	2211.04	1167.32	3378.36

8- **<u>योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-</u>**

- जनपद स्तर पर योजना का क्रियान्वयन जनपदीय उप कृशि निदेषक उप्र0 द्वारा किया जायेगा। सोलर पम्पो के तकनीकी परीक्षण/सत्यापन का कार्य यू0पी0नेडा के जनपदीय परियोजनाधिकारीे द्वारा किया जायेगा। मण्डल स्तर पर पर्यवेक्षण मण्डलीय सयुंक्त कृशि निदेषक द्वारा किया जायेगा।

(5)

- मोबाइल (ट्राली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट हेतु तकनीकी सेवाये/मरम्मत/ मेन्टीनेन्स हेतु यू0पी0एग्रो0 द्वारा मण्डलीय अभियन्ता एवं सेवा अभियन्ता का दायित्व रहेगा, जिसके लिये उनको प्रषिक्षित किया जायेगा। योजना का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जायेगा। योजनान्तर्गत लाभाथ्र्ाी कृषकों एवं स्वयं सहायता समूहों, कृषक संगठनों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

9- कृपया उपरोक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद **)**
प्रमुख सचिव।

<u>सं0-414(1)/12-3-2016-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रबंध निदेशक, यू. पी. एग्रो, लखनऊ।
4- निदेशक, यू. पी. नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), कृषि भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालाय, कृषि भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।

8- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल **)**
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in